# न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

**अपील डिक्री/टी0ए0/5733/2003/चुरू**

1. श्रीमती गोगा देवी पत्नि स्व0 मालाराम जाट
2. जीवणराम पुत्र मालाराम जाट
3. बीरबल पुत्र मालाराम जाट
4. देबुराम पुत्र मालाराम जाट
5. श्रीमती खीवणी पुत्री मालाराम जाट
6. श्रीमती रूक्मणी देवी पुत्री मालाराम जाट
   समस्त निवासी मोलीसर छोटी तहसील व जिला चुरू।

–अपीलार्थीगण

–बनाम–

1. श्रीमती चावली बेवा मोहनराम जाट
2. सुभाष
3. जयकरण
4. अमरचन्द
5. जोरावर सिंह
   समस्त पुत्रगण मोहनराम जाट निवासी मोलीसर छोटी तहसील व जिला चुरू।
6. शिवलाल पुत्र मोहनराम जाट
7. हंसराज पुत्र मोहनराम जाट
8. सुगनी पुत्री मोहनराम जाट
   समस्त निवासी मोलीसर छोटी तहसील व जिला चुरू।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चुरू।

–प्रत्यर्थीगण

**खण्डपीठ**

**श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य**

**कमला अलारिया, सदस्य**

**उपस्थितिः–**

श्री सी0पी0शर्मा, अभिभाषक अपीलार्थीगण

श्री मुकेश जैन, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

**–निर्णय–**

दिनांकः–16–07–2025

**1–** यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12–09–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

**2–** प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण संख्या 1 ता 5/वादीगण द्वारा एक वाद विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चुरू के समक्ष

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण /प्रत्यर्थीगण संख्या 1 ता 5 व प्रतिवादी/ प्रत्यर्थी संख्या 6 ता 8 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि ख0न0 213 व 236 ग्रम सूरतपुरा तहसील चुरू में स्थित है, जिसमें उनका 1/3 हिस्सा दर्ज है इन खेतों में से खेत ख0न0 213 की उत्तरी सींव के साथ–साथ होकर ग्राम सूरतपुरा से ग्रम सहनाली छोटी को जाने वाला सार्वजनिक आम कटाणी रास्ता स्थित है और वर्तमान में आवागमन इसी रास्ते से चालू है। भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों की गलती से रास्ता मौके की स्थिति के अनुसार न दिखाकर ख0न0 213 व 236 के बीच में से नक्शा एक्स में अंकित कर दिया गया जबकि नक्शे में दर्शाये गये स्थान से विवादित रास्ता न तो मोके पर चालू रहा है ना ही वर्तमान में चालू है। अतः मौके की स्थिति के अुनसार नक्शा एक्स में ख0न0 213 की उत्तरी सींव के साथ घोषित कर नक्शें में दुरूस्ती की जावे। विचारण न्यायालय ने दावा व जवाब दावा के आधार तनकी कायम करते हुये अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.2002 को यह अभिलिखित करते हुये खारिज कर दिया कि दावा धारा 88 राजस्थान कातश्कारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में प्रमाणित नहीं होता है। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 31–12–2002 से व्यथित होकर प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 5 ने प्रथम अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12–09–2003 के माध्यम से अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 31–12–2002 को निरस्त करते हुए रास्ते में संशोधन करने के आदेश पारित कर दिये। अपीलीय न्यायायल के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

**3–** उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील में सुनी गयी।

**4–** विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि सूरतपुरा में स्थित ख0न0 241, 242 के उत्तर में गांव सूरतपुरा से सहनाली छोटी तक कटानी आम रास्ता है, जिसके उत्तर में खेत ख0न0 213, 214 व 215 है, जिसकी दक्षिण सींव से लगकर तथा ख0न0 236, 241 व 242 के खेतों की उत्तर सींव लगकर आम रास्ता है जो पूर्व से चला आ रहा है। जिसका उपयोग सार्वजनिक आम रास्ते के रूप में होता आ रहा है। प्रत्यर्थीगण ने राजस्व अमले से मिलीभगत कर ख0न0 213 की उत्तरी सींव पर नया रास्ता कायम करते हुये नक्शा ट्रेस व रिकार्ड में परिर्वतन कर दुरूस्ती कराने का वाद प्रस्तुत किया जबकि इस कदामी रास्ते को अपने खेत ख0न0 213 के दक्षिण सींव से बाधा उत्पन्न कर बंद कर दिया। जिसके विरूद्व अपीलार्थीगण ने सिविल न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। जिसे सिविल न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17–09–2003 द्वारा प्रत्यर्थीगण को ख0न0 213 व 236 की सीमाओं के बीच में होकर उपयोग में आने वाले रास्ते को बंद नहीं करने व उसे खुलवाने के आदेश पारित किये है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थीगण ने उक्त समस्त तथ्यों को छिपाते हुये विचारण न्यायालय के समक्ष

दावा पेश किया था। जिसे विचारण न्यायालय ने अपने विधिसम्मत् निर्णय से वादीगण का वाद खरिज किया। परन्तु अपीलीय न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर प्रत्यर्थीगण की अपील को स्वीकार कर रास्ते की दुरूस्ती करने के आदेश पारित कर दिये जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में स्वयं यह स्वीकार किया है कि धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ते की घोषणा का अनुतोष नहीं दिया जा सकता, तदुपरांत भी उन्होनें अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर धारा 131 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत अपील को प्रार्थना पत्र मानते हुये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिये, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त कर हस्तगत् द्वितीय अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

**5–** धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने कथन किया कि ग्राम सुरजपुरा से ग्राम सहनाली छोटी कटाणी रास्ता एक ग्राम से दूसरे ग्राम में आने–जाने का सार्वजनिक रास्ता है, जोकि खसरा नम्बर 213, 214 के दक्षिण सीमा से लगकर खसरा नम्बर 236, 241 व 242 की उत्तरी सीमा से लगकर बीच में से आम रास्ता है। अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 214 व 236 तथा प्रत्यर्थीगण की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 213 व 214 के बीच में होकर आम रास्ता है जिसमें बाधा उत्पन्न करने पर उनके विरूद्ध दिवानी वाद प्रस्तुत किया गया था। जोकि अपीलार्थीगण के हक में निर्णित किया गया। प्रत्यर्थीगण द्वारा उपरोक्त तथ्यों को छिपाते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित करवा लिया गया। ऐसी स्थिति में ग्राम सुरजपुरा से सहनाली छोटी के मध्य आने–जाने वाले सार्वजनिक रास्ते से अपीलार्थीगण हितबद्ध होने एवं सार्वजनिक रास्ते के संबंध में पारित निर्णय से प्रभावित पक्षकार होने के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ उक्त द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

**6–** विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 को साबित न करने का जो आधार बताया है कि वादीगण द्वारा अनुतोष के समर्थन में मात्र मौखिक साक्ष्य पेश की है। जबकि भू–प्रबन्ध के दौरान भूल से गलत स्थान पर कटाणी रास्ता अंकित करने का कोई सबूत या रिकार्ड पेश नहीं किया। विचारण न्यायालय का यह आधार पूर्णतया निराधार है क्योंकि वादीगण/प्रत्यर्थीगण ने इस तनकी को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के रूप में बतौर वादिया चावली व साथ ही सुभाष, रामेश्वरलाल, भादराराम, पोकरराम आदि गवाहान पेश किये है जिन्होनें सशपथ बयान दिये है कि विवादित रास्ता सदामत से खेत ख0न0 213 की उत्तरी सींव के साथ साथ रहा है व मौके पर सदैव से इसी स्थान पर रास्ता चालू है व आज भी कायम है। जबकि नक्शा एक्स में गलत स्थान पर अंकित किया है जो मौके के अनुसार दुरूस्ती के काबिल है। प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ख0न0 213 व 236 का

नक्शा एक्स की नकल उक्त खेतों की जमाबंदी भी विचारण न्यायालय के समक्ष पेश की थी जिससे वादीगण/प्रत्यर्थीगण का दावा साबित होता है, परन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों व दस्तावेजी/मौखिक साक्ष्यों को नजरअंदाज कर वादीगण का वाद तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया। इसके विपरीत अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वादग्रस्त भूमि के संबंध में पक्षकारों के हितार्थ आक्षेपित निर्णय पारित किया गया। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि भू–प्रबन्ध कर्मचारियों की भूल से मौके की स्थिति के विपरीत गलत स्थान पर रास्ता अंकित कर दिये जाने के कारण खेत ख0न0 213 की उत्तरी सींव के साथ साथ सदामत चालू रास्ता को कटाणी रास्ता घोषित कर रिकार्ड दुरूस्ती हेतु वाद प्रस्तुत किया था परन्तु विचारण न्यायालय ने रेस्पो0/वादीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों की विवेचना व मूल्यांकन किये बिना वादीगण का वाद खारिज कर दिया जिसे अपीलीय न्यायालय ने रास्ते के अंकन कोई त्रुटि हो तो उसे पैमाईश कराते हुये समुचित संशोधन किये जाने के आदेश पारित करने का विधिसम्मत आदेश पारित किया है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

**7–** विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण द्वारा धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलार्थीगण विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय के समक्ष जैरकार कार्यवाहियों में बतौर पक्षकार स्थापित नहीं थे। ऐसी स्थिति में द्वितीय अपील के स्तर पर उन्हें पृथक से अपील प्रस्तुत की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है। वादग्रस्त भूमि के बाबत् पक्षकारों के मध्य भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत स्थान पर रास्ते के अंकन को लेकर विवाद है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों से अपीलार्थीगण हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार नहीं होने से अपीलार्थीगण की हस्तगत् द्वितीय अपील को लोकस–स्टेण्डाई के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

**8–** उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया ।

**9–** प्रकरण में जहाँ तक धारा 96 सीपीसी के माध्यम से अपील प्रस्तुत करते हुए अनुमति प्राप्त करने का प्रश्न है, इस संबंध में हमने पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य यथा न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व0ख) चूरू द्वारा सिविल वाद संख्या 33/97 का अवलोकन किया। उक्त वादपत्र अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व0ख) चूरू द्वारा उक्त वादपत्र को डिक्री किया जाकर विवादित रास्ते के संबंध में आदेश पारित करते हुए रास्ते को राजस्व नक्शा प्रदर्श–1 के अनुसार उस घुमाव को सीधा करके दो माह मे खुलासा करने के आदेश प्रदान किये गये है। इसी प्रकार न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, चूरू के समक्ष राज्य पक्ष एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 01/2001 जिसमें भी विवादित खसरा नम्बरान् के संबंध में आदेश पारित किया गया है, में अपीलार्थीगण बतौर पक्षकार स्थापित रहे है, के तथ्यो को दृष्टिगत् रखते हुए अपीलार्थीगण विवादित भूमि के बाबत् पारित आक्षेपित

आदेशों से हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार साबित होने से अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**10–** हस्तगत् प्रकरण में प्रत्यर्थीगण/वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चुरू के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत वादपत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि वादीगण/प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 5 व प्रतिवादी/ प्रत्यर्थी संख्या 6 ता 8 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ख0न0 213 व 236 ग्राम सूरतपुरा तहसील चुरू में स्थित है जिसमें उनका 1/3 हिस्सा दर्ज है। इन खेतों में से खेत ख0न0 213 की उत्तरी सींव के साथ–साथ होकर ग्राम सूरतपुरा से ग्राम सहनाली छोटी को जाने वाला सार्वजनिक आम कटाणी रास्ता स्थित है और वर्तमान में आवागमन हेतु इसी रास्ते का उपयोग किया जा रहा है।

दौराने भू–प्रबन्ध विभाग रास्ता मौके की स्थिति के अनुसार रास्ता नहीं दिखाकर ख0न0 213 व 236 के बीच में से नक्शा एक्स में अंकित कर दिया गया जबकि नक्शे में दर्शाये गये स्थान से विवादित रास्ता न तो मोके पर चालू रहा है ना ही वर्तमान में चालू है। अतः मौके की स्थिति के अुनसार नक्शा एक्स में ख0न0 213 की उत्तरी सींव के साथ घोषित कर नक्शें में दुरूस्ती की जावे। उक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा दौराने भू–प्रबन्ध दावे में वर्णित स्थान पर रास्ता कटाणीदर्ज करने बाबत् कोई सबूत या रिकार्डेड दस्तावेज पेश नहीं करने एवं दावा धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में प्रमाणित नहीं होना मानते हुए खारिज कर दिया गया। इसके विपरीत अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को राजस्व नक्शें में दुरूस्ती का मानते हुए व दावे का नहीं होने के कारण डिक्री जारी नहीं किये की आवश्यकता का कथन करते हुए अपील को स्वीकार किया गया एवं कटाणी रास्ते के अंकन में त्रुटि होने की स्थिति में पैमाईश कराके समुचित संशोधन करने के आदेश प्रदान किये गये है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विवादित रास्ते की पैमाईश के संबंध में विरोधाभासी एवं परस्पर भिन्न–भिन्न आदेश पारित किये गये है।

**11–** इस संबधं में हमने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र का अवलोकन किया। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 5 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के तहत वादपत्र प्रस्तुत करते हुए घोषणात्मक एवं दुरूस्ती रिकार्ड की मांग करते हुए खेत खसरा नम्बर 213 रोही मौजा सुरतपुरा की उत्तरी सीमा के साथ–साथ सदामत से चालू रास्ते का मौक के अनुसार कटाणी रास्ता घोषित करने की इस्तदुआ की गई थी। इस संबंध में हमनें धारा 88 के तहत प्रदत्त किये जाने वाले अनुतोष को दृष्टिगत् किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 में दिये जाने वाले अनुतोष के संबंध में अभिलिखित किया गया है किः– Declaratory Suits - Suit for declaration of right - (1) Any person claiming to be a tenant or a co-tenent may sue for a declaration that he is a tenant or for a declaration of his share in such joint tenancy., इस

प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत अधिकारों की घोषणा के लिये प्रस्तुत वादपत्र में घोषणात्मक अर्थात पक्षकारों के खातेदारी अधिकारों के विनिश्चयन/निर्धारण के संबंध में प्रावधान निहित किये गये है। जबकि प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 5/वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत करते हुए खेत खसरा नम्बर 213 मौजा रोही सुरतपुरा के उक्त खेत की उत्तरी सींव के साथ–साथ सदामत में चालू रास्ता ग्राम सुरतपुरा से सहनाली जाने वाला कटाणी रास्ता है, तथा उसी क अनुसार नक्शा एक्स में दुरूस्ती किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र के माध्यम से चाहा गया अनुतोष धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधित प्रावधानों के अनुसरण में प्रमाणित होना नहीं मानते हुए वादपत्र को खारिज किया गया है। इस संबंध में न्यायालय का अभिमत है कि चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत केवल मात्र घोषणात्मक/खातेदारी अधिकारों के संबंध में न्यायालय द्वारा अभिनिश्चयन/निर्धारण करते हुए अनुतोष प्रदान किया जा सकता है, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यथी संख्या 1 ता 5/वादीगण द्वारा वादपत्र के माध्यम से चाहा गया अनुतोष राजस्व नक्शा एक्स में दुरूस्ती का होने से उक्त अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों की परिधि में नहीं होना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

प्रकरण में जहाँ तक अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश के माध्यम से वाद को सिर्फ राजस्व नक्शे में रास्ते की दुरूस्ती का प्रकरण मानते हुए एवं दावे का नहीं होने के कारण डिक्री जारी नहीं किये जाने की आवश्यकता नहीं होने का कथन करते हुए खेत खसरा नम्बर 213 की उत्तरी सींव के साथ–साथ दर्शाया जाकर दुरूस्ती किया जाना उचित माना है। इस प्रकार अपीलीय न्यायालय द्वारा एक तरफ तो प्रकरण को राजस्व नक्शें में रास्ते की दुरूस्ती का माना गया है वहीं दूसरी तरफ दावे में पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्व प्रस्तुत अपील को विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर स्वीकार किया गया है। प्रकरण में यह अभिलिखित किया जाना भी समीचीन होगा कि राजस्व नक्शें में दुरूस्ती के संबंध में भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत प्रावधान निहित करते हुए अभिलिखित किया गया है किः– Maintenance of map and fielf book - After the survey and record operations are over, the map and the field book shall be maintained by the Land Record Officer in accordance with the rules made by the State Government in that behalf, and he shall cause, annually or at such longer intervals as the State Governement may prescribe, to be recorded therein all changes in the boundaries of each village or portion of a village, estate or field and shall correct any errors which are shown to have been made in such map or field book. प्रकरण में चूंकि अपीलीय न्यायालय द्वारा विधि में प्रावधित प्रावधानों के विपरीत जाकर धारा 88 आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत वादपत्र में पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्व प्रस्तुत अपील में राजस्व नक्शें में दुरूस्ती के आदेश प्रदान किये गये है, जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि सार्वजनिक आम रास्ता में अपनी मनमर्जी से या सुविधा के हिसाब से

विनिर्दिष्ट रूप से कोई रेखा नहीं डाली जा सकती है क्योंकि रास्ते का उपयोग, उपभोग का अधिकार जनता में निहित होता है और जनता इस रास्ते को अपनी सुविधा के अनुसार बदलाव नहीं कर सकती है तथा विधि में इसके लिय भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में पृथक से प्रावधान निहित किये गये है। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत पारित आदेश पुष्टि योग्य नहीं होने से अपीलार्थीगण की हस्तगत् द्वितीय अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

**12–** परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत् द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12–09–2003 को अपास्त किया जाता है और विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चुरू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–12–2002 की पुष्टि की जाती है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(कमला अलारिया)**
**सदस्य**

**(राजेश कुमार दड़िया)**
**सदस्य**